

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2010—अग्रहायण 5, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सारिखिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-747—आयएएस-लीब-5-एक.—(1) डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल को दिनांक 22 नवम्बर 2010 से 10 दिसम्बर 2010 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 नवम्बर 2010 एवं 11, 12 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर की अवकाश की अवधि में श्री डी.पी. अहिरवार, आय.ए.एस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन एवं मछलीपालन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के

साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी.पी. अहिरवार, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. (श्रीमती) वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-291-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री ओ. पी. रावत, आयएएस, उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को दिनांक 4 से 16 दिसम्बर 2010 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. रावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ओ. पी. रावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओ. पी. रावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-290-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री एम. के. राय, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 24 अक्टूबर 2010 का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 18 अक्टूबर 2010 का स्थानीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एम. के. राय, की अवकाश अवधि में श्रीमती आभा अस्थाना, आयएएस., वि.क.अ.-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास सहकारिता, पशुपालन, मछलीपालन तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. के. राय द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती आभा अस्थाना, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-644-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस., अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल को दिनांक 29 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2010 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5, 7 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 6 नवम्बर 2010 का स्थानीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार शुक्ल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अध्यक्ष-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-42-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री प्रशांत मेहता, आयएएस., महानिदेशक, आर.सी.बी.पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 22 से 27 नवम्बर 2010 तक, छ: दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 28 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत मेहता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन महानिदेशक, आर.सी.बी.पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रशांत मेहता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रशांत मेहता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-795-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री जॉन किंगसली ए.आर., आयएएस, कलेक्टर, जिला हरदा को दिनांक 29 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2010 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री जॉन किंगसली ए.आर. की अवकाश अवधि में श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला हरदा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जॉन किंगसली ए.आर. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री जॉन किंगसली ए.आर. द्वारा कलेक्टर, जिला हरदा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण, कलेक्टर, जिला हरदा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जॉन किंगसली ए.आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जॉन किंगसली ए.आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-476-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री दीपक खाण्डेकर, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 27 दिसम्बर 2010 से 1 जनवरी 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 दिसम्बर 2010 एवं 2 जनवरी 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री दीपक खाण्डेकर की अवकाश अवधि में श्री मनोज झालानी, आयएएस, आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक खाण्डेकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री दीपक खाण्डेकर द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोज झालानी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक खाण्डेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक खाण्डेकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-854-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, आयएएस, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ को दिनांक 25 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2010 तक र्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 अक्टूबर 2010 एवं 5, 7 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 6 नवम्बर 2010 का स्थानीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में श्री आज्ञाकृत तिवारी, राप्रसे, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत टीकमगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर टीकमगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आज्ञाकृत तिवारी, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-390-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्रीमती लवलीन कक्कड़, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं

बाल विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2010 तक बारह दिन के स्वीकृत एक्स इंडिया अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, उसी क्रम में अब उन्हें दिनांक 16 अक्टूबर 2010 से दिनांक 30 अक्टूबर 2010 तक पन्द्रह दिन एक्स इंडिया अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 की शेष कंडिकार्ये यथावत रहेंगी।

क्र. ई. 5-676-आयएएस-लीब-एक-5.—(1) श्री विश्वमोहन उपाध्याय, आयएएस., आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2010 द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2010 तक एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री विश्वमोहन उपाध्याय की उक्त अवकाश अवधि में श्री अरुण कोचर, आयएएस, आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग एवं संचालक, विमानन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-841-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस., कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 1 से 12 नवम्बर 2010 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 31 अक्टूबर 2010 एवं 13, 14 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री आर.पी. भारती, अपर कलेक्टर, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला दतिया का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. पी. भारती, कलेक्टर जिला दतिया के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई. 5-802-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री आर. ए. खण्डेलवाल, आयएएस., अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को दिनांक 1 से 8 नवम्बर 2010 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 31 अक्टूबर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आर. ए. खण्डेलवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. ए. खण्डेलवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई. 5-496-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री अनिल कुमार जैन, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (ट्रायफेक) को दिनांक 30 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2010 तक चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अनिल कुमार जैन की अवकाश अवधि में श्री पी. के. दाश, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (ट्रायफेक) का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनिल कुमार जैन द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (ट्रायफेक) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. दाश प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक

विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. (ट्रायफेक) के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. ई. 5-97-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती रंजना चौधरी, आयएएस., अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 8 से 15 नवम्बर 2010 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रंजना चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रंजना चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रंजना चौधरी अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती।

क्र. ई. 5-835-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कवीन्द्र कियावत, आयएएस., कलेक्टर, जिला अनूपपुर को दिनांक 2 से 12 नवम्बर 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री कवीन्द्र कियावत की अवकाश की अवधि में श्री आशीष सक्सेना, अपर कलेक्टर, जिला अनूपपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अनूपपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कवीन्द्र कियावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कवीन्द्र कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला अनूपपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आशीष सक्सेना, कलेक्टर, जिला अनूपपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कवीन्द्र कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि श्री कवीन्द्र कियावत अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2010

क्र. ई. 1-295--2009-5-एक.—(1) श्री संजीव कुमार झा, भाप्रसे (1996), संयुक्त, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग से वापस लेकर, उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें अपर आयुक्त, आदिवासी विकास का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई-1-381-2010-5-एक, दिनांक 7 अक्टूबर, 2010 जिसके द्वारा श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल भाप्रसे (2003) को संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं मध्यप्रदेश तथा अपर आयुक्त, आदिवासी विकास का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया था, को एतद्द्वारा निरस्त करते हुए, श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे (2003), परियोजना संचालक, आईसीडीएस (महिला एवं बाल विकास) तथा कार्यकारी संचालक, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन (अतिरिक्त प्रभार) की सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग से वापस लेकर अब उनकी सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग को संयुक्त, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है तथा उन्हें आगामी आदेश तक, पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल से निर्वाचन से संबंधित कार्य के लिए) घोषित किया जाता है।

(3) उपरोक्तानुसार श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल भाप्रसे (2003) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश के असंवगीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उपर दर्शित नियमों की अनुसूची 2 बी में सम्मिलित उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

क्र. ई. 5-475-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रजनीश वैश, आयएएस, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 1 से 10 नवम्बर 2010 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के साथ दिनांक 31 अक्टूबर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रजनीश वैश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-

सदस्य, (पुनर्वास) नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रजनीश वैश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश वैश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2010

क्र. ई. 5-808-आयएएस-लीब-5-एक .—(1) श्री राजेन्द्र शर्मा, आयएएस., कलेक्टर, जिला रतलाम को दिनांक 18 से 27 नवम्बर 2010 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17 नवम्बर 2010 एवं 28 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री राजेन्द्र शर्मा की अवकाश की अवधि में श्री के. आर. जैन, अपर कलेक्टर, रतलाम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रतलाम का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री राजेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. आर. जैन, कलेक्टर, जिला रतलाम के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2010

क्र. ई-5-498-आयएएस-लीब-एक-5 .—(1) श्री प्रमोद कुमार दास, आयएएस., श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2010 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 दिसम्बर 2010 एवं 25, 26 दिसम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री प्रमोद कुमार दास की अवकाश की अवधि में श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस, आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश इंदौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार दास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री प्रमोद कुमार दास द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शैलेन्द्र सिंह, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2010

क्र. ई-5-416-आयएएस-लीब-5-एक .—(1) श्री के. सुरेश, आयएएस., सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांचिकी विभाग को दिनांक 27 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2010 तक, कुल नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5, 7 नवम्बर 2010 का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 6 नवम्बर 2010 का स्थानीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांचिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्र. ई-5-844-आयएएस-लीब-5-एक .—(1) श्री ए. के. सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला अशोकनगर को दिनांक 3 से 14 सितम्बर 2010 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अशोकनगर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ए. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-531-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एम. के. सिंह, आयएएस., सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर को दिनांक 6 अगस्त से 20 अगस्त 2010 तक, 15 दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री एम. के. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. ई-5-818-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एन. एस. घटनागर, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 द्वारा दिनांक 4 से 15 अक्टूबर 2010 तक बारह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 11 से 21 अक्टूबर 2010 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 की शेष कंडिकायें यथावत रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्ही. एस. तोमर, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

क्र. ई.-1-393-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना-3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया	(4)
(1)	(2)	(3)		
1.	डॉ. जे. टी. एक्का (1986), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आयुक्त-सह-संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग।	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम, भोपाल।	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन	
2.	श्रीमती सलीना सिंह (1986), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार)।	प्रमुख सलाहकार, स्पेशल एरिया डिवलपमेंट राज्य योजना आयोग प्रकोष्ठ, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार।	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन	

(2) उपरोक्तानुसार डॉ. जे. टी. एक्का द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990), आयुक्त-सह-संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(3) श्री राकेश श्रीवास्तव, भाप्रसे (1993) आयुक्त, जन सम्पर्क एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(4) उपरोक्तानुसार श्री राकेश श्रीवास्तव द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरुण शमी, भाप्रसे (1994), संचालक, उद्यानिकी-सह-मिशन- संचालक, उद्यानिकी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. ई.-1-409-2010-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गये पद पर, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना-3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती लवलीन कक्कड़ (1979), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग।	विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली।	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन
2.	श्री प्रवेश शर्मा (1982), विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली।	आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली।	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-ए-5-17-2010-एक-(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती इन्द्राणी दत्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्रमांक	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	9 से 13 अगस्त 2010 तक	पांच दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश।	-

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2010

क्र. एफ-ए-5-17-2010-एक-(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती इन्द्राणी दत्ता, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्रमांक	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6 से 10 सितम्बर 2010 तक	पांच दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश।	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव।

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-1-19-2009-पन्द्रह-2-वरिष्ठ.—सहकारी निरीक्षक से अंकेक्षण अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, दिनांक 22 मार्च 2010 में श्री खुमान सिंह जमरा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के संबंध में निर्णय बंद लिफाफे में रखा गया था। बंद लिफाफा खोलने के उपरांत श्री जमरा को पदोन्नति के उपयुक्त पाये जाने से राज्य शासन, एतद्वारा श्री खुमान सिंह जमरा वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक धार को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन अंकेक्षण अधिकारी के पद पर वेतन वैण्ड पी.बी.-2 रुपये 9300-34,800+ग्रेड-पे 4200 में पदोन्नत कर इंदौर पदस्थ किया जाता है।

2. मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 1-19-2009-पन्द्रह-2, दिनांक 5 मई 2010 से पदोन्नत श्री नानूराम सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को पदोन्नत कर अंकेक्षण अधिकारी के पद पर मंदसौर पदस्थ किया गया है, उनकी उपस्थिति दिनांक से तथा उनके ऊपर श्री खुमान सिंह जमरा को वरिष्ठता प्रदान की जाती।

3. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में दर्ज की गई हैं।

4. प्रमाणित किया जाता है कि म. प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा म. प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्व संज्ञान है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. एस. मरावी, अवर सचिव।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-6-6-2005-चौबालीस.—सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ पर्यांत पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये इस विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 7 जुलाई 2005 में अंशिक संशोधन करते हुए विभागीय आदेश क्रमांक 266-चौबालीस-84, दिनांक 2 मई 1984 द्वारा गठित चयन मंडल में अध्यक्ष के पद पर महानिदेशक प्रशासन अकादमी को पदेन अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है।

2. इन्हें शासन द्वारा दिये जाने वाले मानदेय व सुविधायें विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2005 अनुसार देय होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदेश कुमार, प्रमुख सचिव।

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-2-35-07-बारह-2.—मेसर्से पेसिफिक एक्सपोर्ट्स द्वारा जिला जबलपुर एवं कटनी में आयरन ओर, मैंगनीज ओर, टाइटेनियम एवं वेनेडियम खनिजों के अवैक्षी अनुज्ञापत्र अन्तर्गत टोही कार्यों हेतु धारित 1101 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में से 551 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 7(1) (i) (क) अनुसार परित्याग किया गया है। इस क्षेत्र को, खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59(1) (क) को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्वारा खुला घोषित करती है। क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

बिन्दु (1)	अक्षांश (2)	देक्षांश (3)
खण्ड 1		
A	23° 30' 00.00"	80° 00' 00.00"
W	23° 40' 09.20"	80° 18' 11.60"
Z	23° 35' 38.80"	80° 25' 06.20"
H	23° 33' 17.00"	80° 20' 40.00"
I	23° 36' 00.00"	80° 19' 02.00"
J	23° 25' 40.00"	80° 00' 00.00"
खण्ड 2		
X	23° 50' 55.20"	80° 37' 28.20"
B	23° 51' 50.00"	80° 39' 07.00"
C	23° 41' 05.00"	80° 45' 00.00"
Y	23° 38' 34.60"	80° 36' 54.90"

इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि समाप्ति के पश्चात्, 90 दिवस तक, खुला घोषित क्षेत्र स्वीकृति हेतु उपलब्ध होगा। उक्त क्षेत्र का मानचित्र संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म “खनिज भवन” 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्यालयीन दिवस में अवलोकन हेतु उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-2-35-07-बारह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 25 अक्टूबर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. तोमर, उपसचिव।

Bhopal, the 25th October 2010

No. F-2-35-07-XII-2.—In exercise of rule 59(1)(a) of Mineral concession Rule 1960, the State Government hereby declare throw open an area of 551 Km² out of 1101 Km² in Jabalpur & Katni districts which was previously held by M/s Pacific Exports, for the reconnaissance operations of iron ore, Manganese ore, Titanium & Vanadium Minerals, under reconnaissance permit, has now been relinquished as per 7(1)(i)(a) of the said rules. Details of the area as below:—

Point (1)	Latitude (2)	Longitude (3)
BLOCK 1		
A	23° 30' 00.00"	80° 00' 00.00"
W	23° 40' 09.20"	80° 18' 11.60"
Z	23° 35' 38.80"	80° 25' 06.20"
H	23° 33' 17.00"	80° 20' 40.00"
I	23° 36' 00.00"	80° 19' 02.00"
J	23° 25' 40.00"	80° 00' 00.00"
BLOCK 2		
X	23° 50' 55.20"	80° 37' 28.20"
B	23° 51' 50.00"	80° 39' 07.00"
C	23° 41' 05.00"	80° 45' 00.00"
Y	23° 38' 34.60"	80° 36' 54.90"

The area shall be available for regrant after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, till 90 days. The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining, Khanij Bhawan, 29-A, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh, on any working day after publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
A. K. TOMAR, Dy. Secy.

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-3-73-2010-दो ए(3).—राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 22 जुलाई 2010 को प्रश्न-पत्र लेखा (पुस्तिकों सहित) विषय में

सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
उच्चस्तर जबलपुर संभाग		
1. श्री घनश्याम सिरसाम		
		सहायक संचालक
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
		अम्बरीश श्रीवास्तव, उपसचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांचिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2010
क्र. एफ-10-28-2010-तेर्इस-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3(ग) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगमी दो वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाता है।

क्र. (1)	अशासकीय सदस्यों के नाम (2)	जिला योजना समिति (2)
1	श्री उत्तमचंद जी लूनावत	नरसिंहपुर
2	श्री हेमन्त खण्डेलवाल	बैतूल
3	श्री रमेश मिश्रा	बैतूल
4	श्री रघुनंदन शर्मा	राजगढ़
5	श्री रोडमल नागर	राजगढ़
6	श्री अरूण कुलश्रेष्ठ	ग्वालियर
7	श्री भारत सिंह कुशवाह	ग्वालियर
8	श्री जगत नारायण जोशी	इन्दौर
9	श्रीमती अंजु मार्खीजा	इन्दौर
10	श्रीमती रेखा बिसेन	बालाघाट
11	श्री सत्यनारायण अग्रवाल	बालाघाट
12	पं. रमेश दुबे	छिन्दवाड़ा
13	श्री कन्हीराम रघुवंशी	छिन्दवाड़ा
14	श्री सुजीत जैन	सिवनी
15	डॉ. ढालसिंह बिसेन	सिवनी
16	पंडित सुधाकर चतुर्वेदी	सतना
17	श्री हर्ष नारायण सिंह	सतना
18	श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला	छतरपुर
19	श्री पुष्टेन्द्रनाथ पाठक	छतरपुर
20	श्री निहालचन्द जैन	सागर
21	श्री बुन्देल सिंह ठाकुर	सागर
22	श्री फूलसिंह चावड़ा	देवास

(1)	(2)
23 श्री विक्रम सिंह	देवास
24 श्री बजरंग पुरोहित	रतलाम
25 श्री ईश्वर पाटीदार	रतलाम
26 डा. मोहन यादव	उज्जैन
27 श्री जगदीश अग्रवाल	उज्जैन
28 श्री मेहरबान सिंह रावत	मुरैना
29 श्री पातीराम गुप्ता	मुरैना
30 श्री रणवीर सिंह रावत	शिवपुरी
31 श्री शिवचरण कुशवाह	शिवपुरी
32 श्री राजेश यादव	मंदसौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, उपसचिव.

फा. क्र. 1(अ)-3-03-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में श्री जयदीप सिंह, अधिवक्ता को उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर समन्वय से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उप शासकीय अधिवक्ता के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिये नियुक्त करता है। उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे:—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री जयदीप सिंह	उप शास.	17,000 अधिवक्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2010

फा. क्र. 1(बी)-25-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2004 के द्वारा श्री विक्रमसिंह सिकरवार, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, उज्जैन को नियुक्त किया था।

श्री विक्रमसिंह सिकरवार, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक की आयु 62 वर्ष से अधिक हो चुकी होने के कारण विधि विभाग नियमावली के नियम 20 के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से पद मुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्र. सह.अधि-10-स्था.-369.—मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित शीतकालीन अवकाश दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक, में से सात दिन का लाभ उठाने की पात्रता है।

2. तदनुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 20 दिसम्बर 2010 से दिनांक 26 दिसम्बर 2010 तक, शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश रहेगा।

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत रहेगा।

विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2010

क्र. क्यू.-भू.-अर्जन-1-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
शिवपुरी	करैरा	धवारा	5	0.52	कार्यपालन यंत्री,	सिंध परियोजना द्वितीय चरण
			9	0.85	सिंध परियोजना	के अंतर्गत उकायला उच्चस्तरीय
			10	0.77	दायरी तट नहर	नहर का निर्माण कार्य बावत्
			12	0.54	संभाग नरवर	
			13	0.06	जिला शिवपुरी	
			23	0.02	म. प्र.	
			24	0.40		
			25	0.36		
			174	0.50		
			175	0.32		
			176	0.08		
			179	0.04		
			180/1	0.25		
			180/2	0.58		
			182/1	0.38		
			182/2	0.35		
			183	0.01		
			190	0.06		
			191	0.03		
			192	0.21		
			193	0.52		
			194	0.12		
		योग . .		6.97		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू.-भू.-अर्जन-2-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
शिवपुरी	करैरा	जयनगर	517	0.21	कार्यपालन यंत्री,	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के
			518	0.04	सिंध परियोजना	अंतर्गत उकायला उच्चस्तरीय
			521	0.36	दायीं तट नहर	नहर के बरूआ पिकअप वियर
			522	0.25	संभाग नरवर	पर 1 मीटर ऊंचाई के ऑटोमेटिक
			523	0.11	जिला शिवपुरी	(गोड़बोले टाईप) गेट लगाने से
			555/1	0.07	म. प्र.	प्रभावित ढूब क्षेत्र बावत्
			555/2/1	0.24		
			555/2/2	0.17		
			555/2/3	0.27		
			555/2/4	0.03		
			555/2/5	0.35		
			556	0.25		
			557	0.01		
			577	0.10		
			551	0.31		
			578	0.02		
			580	0.13		
			582	0.06		
			603	0.04		
			614	0.50		
			615	0.09		
			618	0.02		
			619	0.04		
			636	0.18		
			637	0.26		
			639	0.06		
			640	0.04		
			641	0.36		
			643	0.31		
			644	0.37		
			645	0.23		
			646/2/11	0.40		
			646/2/12	0.10		
			646/2/19	0.04		
			646/2/20	0.25		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			646/2/21	0.24	
			646/2/22	0.39	
			646/2/23	0.34	
			646/2/24	0.16	
			646/2/25	0.26	
			646/2/26	0.47	
			654	0.15	
			655	0.73	
			657	0.80	
			659	0.47	
			660/1	0.12	
			660/2	0.04	
			695/1	0.80	
			695/2	0.26	
			696	0.28	
			697	0.31	
			698	0.01	
			701	0.02	
			515	0.05	
			524	0.06	
			525	0.02	
			योग . .	12.25	

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू.-भू.-अर्जन-3-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
शिवपुरी	करैरा	सिलानगर	146/4	0.12	कार्यपालन यंत्री,	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के
			147	0.07	सिंध परियोजना	अंतर्गत उकायला उच्चस्तरीय
			148	1.24	दांयीं तट नहर	नहर के बरूआ पिकअप वियर
			149/1	0.73	संभाग नरवर	पर 1 मीटर ऊंचाई के ऑपेटिक
			योग . .	2.16	जिला शिवपुरी म. प्र.	(गोड़बोले टाईप) गेट लगाने से प्रभावित द्रुब क्षेत्र बावर्।

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. क्यू.-भू.-अर्जन-4-10-11-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के

संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	करैरा	दिदावली	1 2 3 4/2/4 157 158 159 161 161/1146 162/1 162/2 164 165 166 167 168 170 174/2	0.20 0.87 0.26 0.68 0.04 0.22 0.35 0.17 0.22 0.26 0.13 0.18 1.04 0.20 0.09 0.01 0.03 0.90	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायीं तट नहर संभाग नरवर जिला शिवपुरी म. प्र.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत उकायला उच्चस्तरीय नहर के बरूआ पिकअप वियर पर 1 मीटर ऊँचाई के ऑटोमेटिक (गोड़बोले टाईप) गेट लगाने से प्रभावित ढूब क्षेत्र बावत.
			योग . .	5.85		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 1 नवम्बर 2010

पत्र. क्र. 2517-भू-अ.अ.-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

जिला	तहसील/ ताल्लुका	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	जबेरा	बगलवारा	3.06 योग : 3.06	कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर सर्वे. संभाग हटा जिला दमोह.	कुसमी जलाशय के स्पिल, एप्रोच चैनल तथा नहर निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तेंदूखेड़ा (दमोह) एवं कार्यपालन यंत्री, पंचम नगर सर्वेक्षण संभाग हटा, जिला-दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.पी.सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 12 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 7-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	खसरा नं.		
				रकबा	रकबा (एकड़ में)
रायसेन	बाड़ी	ईटखेड़ी	184/2	1.00	0.36 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली

(2) भूमि का नक्शा एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन के कार्यालय बरेली में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 12 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 06-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	सहपुरा	निजी 22.18 एवं शासकीय भूमि रकबा 2.50 कुल रकबा 24.68	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना	झाली बांध निर्माण छूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 09-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	लुहरहाई	निजी 6.00 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.50 कुल रकबा 7.50	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	झाली बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	सिलधरा	निजी 57.51 एवं शासकीय भूमि रकबा 1.65 कुल रकबा 59.16	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	झाली बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 012-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	जरूआखेड़ा	निजी 16.92 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.51 कुल रकबा 17.43	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	झाली बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 017-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने

की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) पन्ना	(2) रैपुरा	(3) किसनपाटन	(4) निजी 35.00 एवं शासकीय भूमि रक्का 1.50 कुल रक्का 36.50	(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	(6) बघवार कर्तां तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण एवं नहर निर्माण कार्य।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 018-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) पन्ना	(2) अजयगढ़	(3) भापतपुर	(4) निजी 16.36 एवं शासकीय भूमि रक्का 0.21 कुल रक्का 16.57	(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	(6) सब्दुआ बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 019-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) पन्ना	(2) अजयगढ़	(3) झिन्ना	(4) निजी 17.11 एवं शासकीय भूमि रक्का 0.80 कुल रक्का 17.91	(5) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना.	(6) सब्दुआ बांध निर्माण डूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 021-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके

द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	बघवार खुर्द	निजी 12.00 एवं शासकीय भूमि रक्का 1.50 कुल रक्का 13.50	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना।	खेल बांध निर्माण ढूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 022-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	बघवार कलां	निजी 4.00 एवं शासकीय भूमि रक्का 5.00 कुल रक्का 9.00	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना।	खेल बांध निर्माण ढूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 023-अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	रैपुरा	रानीपुरा	निजी 4.00 एवं शासकीय भूमि रक्का 0.50 कुल रक्का 4.50	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना।	खेल बांध निर्माण ढूब क्षेत्र, वेस्ट वियर, स्पिल वे, एप्रोच चैनल एवं नहर निर्माण कार्य।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(1) (2) (3) (4)

505 1.28 0.30 सम्पूर्ण
467 0.130 0.13

ग्वालियर, दिनांक 17 जून 2010

469 0.330 0.30
466 0.290 0.24

464 1.090 0.29
463 0.100 0.09

538 0.630 0.32 सम्पूर्ण
539 0.100 0.100

1181 0.620 0.100
542/1 0.22 0.21

540 0.350 0.32
1180 0.150 0.05

1176 1.350 0.14 दूरवैल
541 0.330 0.29

532 0.08 0.01
1172/1 0.360 0.36

1173/1 1.780 0.87

1171 0.120 0.12

1168 0.130 0.03
1162 0.680 0.52

1163/1 0.420 0.42
1163/2 0.100 0.08

1160 0.780 0.05

1159/1 0.72 0.12

भूमि का मुआवजा निर्धारण प्रस्ताव 1155 0.090 0.05

हरसी उच्चस्तरीय नहर RD 72.88 कि.मी. से 110 1157/1 0.55 0.04

कि.मी. के निर्माण हेतु आने वाली कृषकों की 1164 0.520 0.28

हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2 ग्वालियर

सर्वे क्र. सर्वे क्र. का नहर में आने रिमार्क 1158 0.500 0.03

कुल रकबा क्षेत्र का रकबा 985 0.050 0.05
(हे. में) (हे. में) 1156 0.110 0.11

(1) (2) (3) (4) 1153 0.250 0.12

507 0.31 0.29 1139 1.450 0.40

508 0.74 0.014 1140 0.400 0.20

514 0.21 0.21 सम्पूर्ण 1172/2 0.07 0.04

515 0.270 0.22 1159/2 - 0.05

519 0.420 0.30 1157/2 - 0.02

504 1.30 0.26 1154 0.450 0.30

522 0.160 0.11 1138 1.780 0.59

523 0.180 0.13 1115/3 0.680 0.15

511/3 3.04 0.45 1115/5 1.260 0.45

524 0.590 0.20 982 0.200 0.14

511/4 0.700 0.110 983 0.180 0.16

525 0.450 0.37 984 0.150 0.11

531 0.310 0.20 1115/4 0.18 0.08

528 0.330 0.33 986 0.170 0.16

527 0.240 0.18 987 0.650 0.19

526 0.080 0.08 1060 0.110 0.11

477 0.630 0.02 1059 0.240 0.24

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)
991	0.210	0.04		62	0.54
1055	0.630	0.32		88	0.19
1048	0.140	0.09		87	0.02
1047	0.100	0.08		89	0.03
1015	0.060	0.03		90	0.021
1046	0.180	0.18	सम्पूर्ण	92	0.33
1045	0.300	0.300	सम्पूर्ण	94/1	0.21
1044	0.250	0.21		98	0.30
1043	0.260	0.080		99	0.08
1026	0.330	0.20		योग . .	3.35
1025	0.280	0.28	सम्पूर्ण		
1024	0.300	0.300	सम्पूर्ण		
1023	0.190	0.18			
1022	0.400	0.05			
1042	0.400	0.03			
518	0.420	0.210			
कुल योग . .		36.25	15.604		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।

ग्वालियर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 01-अ 82-06-07-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—डबरा
- (ग) नगर/ग्राम—बांसी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.35 हेक्टर।

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
44	0.53
52	0.07
53	0.020
61	0.64

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिंध रमौआ लिंक नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 11 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 10 अ-82-वर्ष 2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—पटेरा
- (ग) नगर/ग्राम—सांरंगपुरा, बेलखेडी पटेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—34.95 हेक्टर।

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)	(2)
637/5	0.18
627 में से	1.11

(1)	(2)	(1)	(2)
628/1	0.11	169/1	0.76
629/1	0.24	169/2	0.70
628/2	0.12	166/2	0.08
629/2	0.25	166/3	0.08
628/3	0.12	166/4	0.03
629/3	0.24	166/5	0.03
631	0.40	166/6	0.03
632/4	0.10	166/7	0.03
632/1	0.50	166/8	0.03
632/2	0.50	167	2.17
632/3	0.15	173	0.40
633/2	0.35	168	0.84
637/1	0.12	170	0.32
637/2	0.12	179 में से	0.47
637/3	0.11	174	0.18
637/4	0.09	175/3	0.51
637/6	0.08	175/4	1.01
638/1	0.25	175/5	1.36
638/2	0.17	176/1-6	0.35
638/3	0.17	178 में से	0.15
638/4	0.16	बेलखेडी ग्राम योग . .	15.14
638/5	0.25	171 शासकीय भूमि का कुल योग . .	0.78
622 में से	0.30	बेलखेडी ग्राम का कुल योग . .	15.92
623 में से	0.45	सारंगपुरा ग्राम का कुलयोग . .	19.03
630	0.31	महायोग . .	34.95
633/1	0.20		
639 में से	7.80		
634	1.11		
635 में से	2.35		
636 में से	0.62		
योग . .	<u>19.03</u>		

ग्राम—बेलखेडी

162/1 में से	0.72
162/2 में से	0.77
163	0.16
164	0.64
165/1	0.09
172/2	0.77
165/2	0.09
172/3	0.77
165/3	0.09
165/4	0.09
165/5	0.09
172/1	1.00
177 में से	0.20
166/1	0.13

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—सारंगपुरा जलाशय योजना एवं नहर में आने वाली भूमि में निर्माण हेतु,
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपर्युक्त हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री पंचमनगर सर्वे संभाग हटा जिला दमोह में देखा जा सकता है।
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

दमोह, दिनांक 26 अक्टूबर 2010

क्र. क-भू.अ.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित पूर्व संपत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम—नंदरई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—38.98 हेक्टर.

खसरा नम्बर रकबा नम्बर
(हेक्टर में)

(1)	(2)	(1)	(2)
25 में से	0.88	33 में से	3.25
28 में से	0.20	38 में से	0.23
29	0.12	36/1 में से	0.59
76 में से	0.06	36/4 में से	0.62
83 में से	0.02	103/3	0.49
90/1 में से	1.20	103/2	0.40
31/1 में से	0.80	36/3 में से	0.19
75/1	0.68	योग . . (वांध क्षेत्र)	36.29
31/2 में से	0.90	127 में से	0.17
32	1.23	147 में से	0.10
34 में से	0.05	146 में से	0.18
70 में से	0.54	163 में से	0.10
95	0.62	164 में से	0.14
35/3 में से	0.24	165/2 में से	0.06
72/1	0.71	170/2 में से	0.16
72/2	0.81	170/1 में से	0.13
73	0.28	177 में से	0.06
74	0.92	207 में से	0.14
75/2 में से	0.85	205 में से	0.03
77 में से	0.19	204 में से	0.09
84/1 में से	0.37	201/1 में से	0.06
84/2	0.60	148/15 में से	0.31
86	0.40	148/9 में से	0.04
98	3.15	148/13 में से	0.04
88/1 में से	0.09	129 में से	0.54
88/2 में से	0.09	125 में से	0.09
88/3 में से	0.55	200 में से	0.02
90/2	1.21	443 में से	0.06
90/3 में से	0.73	445 में से	0.07
92 में से	1.07	462/2 में से	0.04
93/1	0.32	461 में से	0.06
93/3 में से	0.26	योग . . (नहर क्षेत्र)	2.69
93/2 में से	0.99	कुल योग . .	38.98
93/4	0.32		
93/5 में से	0.06		
96/1 में से	0.71		
103/1	0.09		
96/2	1.56		
36/2 में से	0.13		
96/3	0.31		
96/4	1.20		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चौपरा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, दमोह के कार्यालय एवं अनुबिभागीय अधिकारी दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. सिंह सलूजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 29 अक्टूबर 2010

क्र. 3098-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र./ अ-82.—चूंकि, राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद
(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम,
1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—पेटलावद
- (ग) ग्राम—पंथबोराली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.18 हेक्टर (निजी भूमि).

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
528	0.08
535	0.03
537	0.01
538	0.06
योग . .	0.18

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता
है—माही परियोजना की पंथबोराली माईनर निर्माण होने
से ग्राम पंथबोराली का कुल रकबा निजी भूमि 0.18
हेक्टेयर।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा
जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 30 अक्टूबर 2010

क्र. 01-अ-82-2009-10-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम,
1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा,
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए
आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—धार
- (ख) तहसील—कुक्षी
- (ग) ग्राम/ग्राम—निसरपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—64.95 वर्गमीटर।

सर्वे क्रमांक	रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
180	64.95
योग . .	64.95

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता
है—सरदार सरोवर परियोजना (अन्तर्राज्य प्रोजेक्ट) के
डूब प्रभावित होने से।

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं
पुनर्वास अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.,
न.धा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के
कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 4 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 2-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद पर (1) में वर्णित
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के
लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया

जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (ग) नगर/ग्राम—झरखेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.784 हेक्टेयर.

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—इछावर
- (ग) नगर/ग्राम—कालापीपल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.785 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(1)	(2)
123	0.203	12/1, 12/2 में से	0.178
270/2ख/1 में से	0.024	13 में से	0.029
271, 272 में से	0.101	31 में से	0.130
277 में से	0.223	32 में से	0.024
280 में से	0.024	34/1 में से	0.077
284/2 में से	0.340	34/2 में से	0.065
289, 290 में से	0.121	34/3 में से	0.210
291, 292, 293, 294,	0.186	35/3 में से	0.049
295, 296 297 में से		41/6 में से	0.012
298 में से	0.219	42 में से	0.012
299 में से	0.061	43/1/1 में से	0.093
524/94	0.283	43/2 में से	0.081
योग . .	<u>1.785</u>	271/2	0.291
		272 में से	0.627
		273	0.178
		274/1	0.267
		274/2 में से	0.113
		276	0.032
		277	0.368
		293/2/2 में से	0.227
		297/2 में से	0.385
		298/2 में से	0.134
		311/12 में से	0.121
		312/13 में से	0.081
		योग . .	<u>3.784</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कालापीपल तालाब के बेस्टीवेयर ढूब एवं नहर के निर्माण हेतु अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इछावर में किया सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद पर (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—इछावर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—झरखेड़ा तालाब कि ढूब एवं नहर के निर्माण हेतु अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इछावर में किया सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद पर (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—इछावर
- (ग) नगर/ग्राम—बौरदी कलां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.107 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
339/2 में से	3.035
339/3 में से	1.242
339/4 में से	0.830
योग . .	<u>5.107</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बौरदी कलां तालाब के निर्माण हेतु अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इछावर में किया सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद पर (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद पर (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

- (क) जिला—सीहोर
- (ख) तहसील—इछावर
- (ग) नगर/ग्राम—सुआखेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.175 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
5, 6/1	1.793
5, 6/2 में से	0.741

(1) (2)

5, 6/3 में से 0.137

5, 6/4 में से 0.073

7/1 में से 0.425

7/4 में से 0.271

8/8 में से 0.121

8/9 में से 0.032

20/1 में से 0.105

20/2 में से 0.016

21/1 में से 0.461

योग . . 4.175

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बौरदी कलां तालाब के निर्माण हेतु अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इछावर में किया सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्र. 1764-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-555-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 5 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—महेश्वर

- (ग) ग्राम का नाम—कुण्डा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.930 है. निजी कृषि भूमि एवं
 उस पर स्थित संरचनाएं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.133 है. निजी कृषि भूमि एवं
 उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर	झूब का रकबा (हेक्टर में)	विवरण	खसरा नम्बर	झूब का रकबा (हेक्टर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
24/2	0.041	—	56	0.081	किराये से पियत
29/2, 30	0.048	नीम-2	60/2	0.028	नीम-2
31	0.809	नाम-1	69	0.024	मकान कच्चा-1, मीठा नीम-1,
32/1/1ख	0.032	—			सीताफल पौधा-2, सुरजना पौधा-1
योग . .	<u>0.930</u>				योग . . <u>0.133</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के झूब क्षेत्र में आने के कारण.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन,
 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1765-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-593-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 25 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
 (क) जिला—खरगोन
 (ख) तहसील—महेश्वर
 (ग) ग्राम का नाम—निमग्नुल

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के झूब क्षेत्र में आने के कारण.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन,
 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1766-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-592-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 25 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
 (क) जिला—खरगोन
 (ख) तहसील—कसरावद
 (ग) ग्राम का नाम—ससाबरड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.924 है. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

25 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेंसी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

खसरा नम्बर	झूब का रकबा (हेक्टर में)	विवरण	अनुसूची
(1)	(2)	(3)	(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
7	0.041	—	(क) जिला—खरगोन
11	0.113	इमली-1	(ख) तहसील—महेश्वर
15	0.024	नीम-1	(ग) ग्राम का नाम—चिराखान
16	0.032	—	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.510 है. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.
17/2क	0.044	नीम-1	
26	0.477	नीम-11, इमली-1	
42	0.001	—	
51	0.012	नीम-1	
54	0.040	मकान-1	
59	0.008	इमली-1	
63	0.004	मकान-1	
65	0.020	इमली-1	
68	0.020	—	
99/1	0.040	नीम-1, सिंचाई सर्वे नं. 99/2 के कुएं से.	
99/2	0.040	—	
101/1	0.008	—	
योग . .		<u>0.924</u>	
खसरा नम्बर	झूब का रकबा (हेक्टर में)	विवरण	
(1)	(2)	(3)	
54	0.081	नीम-3, नीम पौधा-1.	
85	0.129	—	
86/1	0.024	—	
86/2	0.049	—	
86/3	0.097	—	
86/4	0.049	—	
89	0.081	—	
योग . .		<u>0.510</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत परियोजना के झूब क्षेत्र में आने के कारण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.म. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1767-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-593-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक

क्र. 1768-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर

संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-605-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 27 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम का नाम—फतेहपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.427 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हेक्टर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
1 पैकी	0.110	—
2 पैकी	0.170	—
52/92 पैकी	0.032	बबूल-2
54 पैकी	0.100	—
57 पैकी	0.170	—
60/2 पैकी	0.143	—
60/3 पैकी	0.142	—
61 पैकी	0.440	—
62 पैकी	0.120	—
योग . .	<u>1.427</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1769-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-605-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक

संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-565-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक 10 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम का नाम—खैगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.450 हे. निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं.

खसरा नम्बर	डूब का रकबा (हेक्टर में)	विवरण
(1)	(2)	(3)
109	0.275	चेतराम पिता बाबू कडवा पिता मांगीलाल अमरसिंह पिता बाबू बालू पिता नथू की पाईप लाईन-3 इंच कंी उनके खेतों में गई है तथा 10 हा.पा. की मोटर रखी है.
110	0.175	नीम पौधा-1
योग . .	<u>0.450</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1770-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक-605-05-कोर्ट-10, इन्दौर, दिनांक

27 अगस्त 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी कलाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—निजी कृषि भूमि

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम का नाम—पिटामली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.721 हे. निजी कृषि भूमि

खसरा नम्बर	झूब का रक्का (हेक्टर में)
(1)	(2)
82/6	0.701
208	0.020
योग . .	<u>0.721</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत परियोजना के झूब क्षेत्र में आने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1. कलेक्टर, जिला खरगोन, 2. भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत परियोजना मण्डलेश्वर मुख्यालय खरगोन, 3. कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत परियोजना/म.प्र.रा.वि.म. मण्डलेश्वर, 4. महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 12 नवम्बर 2010

प्र.क्र. 001-आ 82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—पन्ना

- (ख) तहसील—देवेन्द्रनगर
- (ग) ग्राम—गिरवारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—24.65 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रक्का (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
673	0.10	निजी भूमि
610	0.42	निजी भूमि
612	0.48	निजी भूमि
613/1	0.06	निजी भूमि
613/2	0.09	निजी भूमि
613/3	0.21	निजी भूमि
614	0.38	निजी भूमि
615	0.31	निजी भूमि
616	0.20	निजी भूमि
617	0.42	निजी भूमि
618	0.20	निजी भूमि
619	0.37	निजी भूमि
620	0.18	निजी भूमि
621	0.41	निजी भूमि
622	0.48	निजी भूमि
623	0.34	निजी भूमि
624	0.35	निजी भूमि
625	0.32	निजी भूमि
626	0.29	निजी भूमि
627	0.88	निजी भूमि
630	0.62	निजी भूमि
631	0.61	निजी भूमि
659	0.60	निजी भूमि
656	1.85	निजी भूमि
660	0.47	निजी भूमि
661	0.35	निजी भूमि
662/1	0.42	निजी भूमि
662/2	0.43	निजी भूमि
663	1.57	निजी भूमि
664	0.46	निजी भूमि
665	0.46	निजी भूमि
666	0.33	निजी भूमि
667	0.45	निजी भूमि
668	0.10	निजी भूमि
669	0.29	निजी भूमि
670	0.41	निजी भूमि
671 जुज	0.34	निजी भूमि
674 जुज	0.10	निजी भूमि
675 जुज	0.01	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
676 जुज	0.04	निजी भूमि	781 जुज	0.10	निजी भूमि
702 जुज	0.05	निजी भूमि	783	0.04	निजी भूमि
705 जुज	0.05	निजी भूमि	796 जुज	0.05	निजी भूमि
704/1559	0.08	निजी भूमि	797 जुज	0.09	निजी भूमि
706 जुज	0.05	निजी भूमि	798 जुज	0.20	निजी भूमि
707 जुज	0.13	निजी भूमि	803 जुज	0.05	निजी भूमि
708 जुज	0.26	निजी भूमि	809 जुज	0.11	निजी भूमि
712 जुज	0.20	निजी भूमि	810/1 जुज	0.07	निजी भूमि
713 जुज	0.05	निजी भूमि	1219 जुज	0.07	निजी भूमि
714 जुज	0.15	निजी भूमि	1220 जुज	0.02	निजी भूमि
715/1 जुज	0.03	निजी भूमि	1221 जुज	0.10	निजी भूमि
776/1 जुज	0.05	निजी भूमि	1215 जुज	0.20	निजी भूमि
776/2 जुज	0.05	निजी भूमि	1213 जुज	0.08	निजी भूमि
1246 जुज	0.04	निजी भूमि	1207 जुज	0.08	निजी भूमि
1245 जुज	0.03	निजी भूमि	1206 जुज	0.08	निजी भूमि
1247	0.03	निजी भूमि	1208 जुज	0.06	निजी भूमि
1248 जुज	0.07	निजी भूमि	1198/1 जुज	0.15	निजी भूमि
1249 जुज	0.07	निजी भूमि	1198/3 जुज	0.05	निजी भूमि
1251	0.05	निजी भूमि	1070 जुज	0.14	निजी भूमि
1252	0.05	निजी भूमि	1088 जुज	0.28	निजी भूमि
1253	0.16	निजी भूमि	850	0.05	निजी भूमि
1254	0.10	निजी भूमि	851	0.09	निजी भूमि
1255	0.10	निजी भूमि	852 जुज	0.08	निजी भूमि
1256 जुज	0.15	निजी भूमि	853 जुज	0.06	निजी भूमि
1257/ 2 जुज	0.08	निजी भूमि	856 जुज	0.03	निजी भूमि
1259 जुज	0.13	निजी भूमि	1218 जुज	0.05	निजी भूमि
1260 जुज	0.20	निजी भूमि	योग . .	24.65	
1262 जुज	0.08	निजी भूमि			
1264 जुज	0.08	निजी भूमि			
1265	0.26	निजी भूमि			
1266	0.30	निजी भूमि			
1267	0.35	निजी भूमि			
1268	0.81	निजी भूमि			
1269	0.26	निजी भूमि			
1270	0.24	निजी भूमि			
1271	0.21	निजी भूमि			
1272 जुज	0.11	निजी भूमि			
711 जुज	0.15	निजी भूमि			
733 जुज	0.15	निजी भूमि			
734 जुज	0.06	निजी भूमि			
735/1 जुज	0.20	निजी भूमि			
735/2 जुज	0.13	निजी भूमि			
736	0.07	निजी भूमि			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—गिरवारा तालाब योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र.क्र. 002-अ 82-वर्ष 2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अजंन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—रैपुरा	(1)	(2)	(3)
(ग) ग्राम—नांदन	956	0.12	निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.51 हेक्टर.	966	0.10	निजी भूमि
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा	भूमि का	निजी भूमि
	(हेक्टेयर में)	प्रकार	
(1)	(2)	(3)	(1)
934/2	1.00	निजी भूमि	848
934/3	0.74	निजी भूमि	854
934/4	0.91	निजी भूमि	991
934/5	1.00	निजी भूमि	960
934/6	0.19	निजी भूमि	962
934/7	0.47	निजी भूमि	961
934/8	0.34	निजी भूमि	964/1
934/10	1.00	निजी भूमि	964/2
934/11	1.00	निजी भूमि	965
934	0.31	निजी भूमि	963
890	0.05	निजी भूमि	969
891	0.15	निजी भूमि	872
892	0.36	निजी भूमि	970
870	0.06	निजी भूमि	887
877	0.10	निजी भूमि	888
884	0.11	निजी भूमि	889
936	0.32	निजी भूमि	895
937	0.32	निजी भूमि	893
938	0.69	निजी भूमि	844
943/2	0.10	निजी भूमि	862
939	0.21	निजी भूमि	863
942	0.29	निजी भूमि	869
950	0.09	निजी भूमि	866
940	0.27	निजी भूमि	867
941	0.21	निजी भूमि	868
944	0.24	निजी भूमि	871
968	0.20	निजी भूमि	873
845	0.09	निजी भूमि	874
846	0.09	निजी भूमि	876
993	0.03	निजी भूमि	882
945	1.00	निजी भूमि	883
946	0.08	निजी भूमि	875
957	0.35	निजी भूमि	990
959	0.19	निजी भूमि	879
947	0.19	निजी भूमि	880
948	0.84	निजी भूमि	881
949	0.20	निजी भूमि	997
998	0.04	निजी भूमि	865
954	0.10	निजी भूमि	967
955	0.10	निजी भूमि	1424
			1425
			0.10

(1)	(2)	(3)	भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—
1426/1	0.36	निजी भूमि	अनुसूची
895	0.06	निजी भूमि	
894	0.08	निजी भूमि	
893	0.07	निजी भूमि	
910	0.06	निजी भूमि	
909	0.09	निजी भूमि	
912	0.10	निजी भूमि	
908	0.10	निजी भूमि	
906	0.06	निजी भूमि	
905	0.05	निजी भूमि	
746/3	0.25	निजी भूमि	
748	0.06	निजी भूमि	
747	0.09	निजी भूमि	
760	0.09	निजी भूमि	
742	0.12	निजी भूमि	
618	0.07	निजी भूमि	
619	0.05	निजी भूमि	
628	0.06	निजी भूमि	
629	0.14	निजी भूमि	
625	0.11	निजी भूमि	
624	0.01	निजी भूमि	
626	0.04	निजी भूमि	
605/2	0.10	निजी भूमि	
605/1	0.05	निजी भूमि	
603	0.15	निजी भूमि	
602	0.01	निजी भूमि	
589	0.04	निजी भूमि	
592	0.08	निजी भूमि	
593	0.07	निजी भूमि	
योग . .	<u>22.51</u>		
			खसरा नम्बर अर्जित रकबा (हेक्टर में)
			(1) (2)
		82	0.021
		83	0.005
		98/1/2	0.053
		158	0.044
		159/1/1	0.210
		171	0.115
		174	0.095
		175	0.038
		176	0.038
		177	0.062
		179	0.060
		188	0.062
		189	0.093
		190	0.085
		191	0.188
		193	0.194
		194	0.205
		योग . .	<u>1.568</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—मंगला तालाब योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 38-अ-82-09-10..—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

- (2) बरियारपुर बायर्न नहर परियोजना की उम्राहा शाखा नहर की सिमरिया वितरक नहर के निर्माण हेतु सर्वाजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) लौंडी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 9 नवम्बर 2010

क्र. 1779-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	पचम्बा	4.700	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर.	जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु,

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

खरगोन, दिनांक 22 नवम्बर 2010

संशोधन

क्र. 1833-भू-अर्जन-2010.—ग्राम आभापुरी नानकौड़ी तहसील झिरन्या जिला खरगोन मध्यप्रदेश की भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा का “मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1” दिनांक 29 अक्टूबर 2010 के पृष्ठ क्रमांक 3060 पर त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है। जिसमें निम्नानुसार संशोधित प्रविष्टि को पढ़ा जावें:-

त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि		संशोधित सही प्रविष्टि	
खसरा नम्बर	रकबा हेक्टर	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टर
(1)	(2)	(1)	(2)
232/1	0.85	232/1	0.085

शेष प्रकाशित उद्घोषणा यथावत् रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 19 नवम्बर 2010

क्र. 3359-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम/ नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
खण्डवा	पुनासा	कटार	1.29	महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन, लिमि., मण्डलेश्वर,	महेश्वर जल विद्युत् परियोजना के डूब क्षेत्र में आने के कारण.	

नोट.—भूमि का नक्शा प्लान (1) कलेक्टर जिला खण्डवा, (2) भू-अर्जन अधिकारी, महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय खरगोन, (3) कार्यपालन अभियंता (सिविल-2) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना, म. प्र. रा. वि. मं., मण्डलेश्वर, (4) महाप्रबंधक श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन, लिमि., मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. डॉ. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

प्र. क्र. 5-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि घाट पिपलिया जलाशय की नहर निर्माण किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—गौहरगंज

खसरा नम्बर	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)
3/2	8.00	0.32
3/1	5.00	0.44
योग . .	13.00	0.76
सेमरीखुर्द		
2/1	16.50	1.10
2/2	16.50	0.68
2/3	7.00	0.23
29/1	9.50	0.33
29/2	15.50	0.55
29/3	15.00	0.62
27/2/1/1	8.08	0.56
27/2/2/2	7.50	0.39

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
27/2/3	7.50	0.27	187	8.76	0.33
80/2	9.50	0.50	189	12.61	0.56
82/2/1	0.52	0.14	188	7.08	0.28
82/2/2	3.20	0.05	182/1	7.00	0.20
80/4	6.80	0.87	182/2	4.00	0.23
80/5	8.31	0.36	9/1	6.04	0.40
116	3.73	0.28	171	6.81	0.66
118/1/2	4.80	0.42	182/2/1/2/1	1.63	0.14
118/1/3	4.80	0.50	176	4.29	0.27
योग . .	120.24	7.85	177	0.90	0.11
महायोग . .	133.24	8.61	2	2.42	0.03
			180/2	6.02	0.42

टीप.—(2) भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(3) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—घाट पिपल्या जलाशय की नहर निर्माण हेतु।

रायसेन, दिनांक 2 नवम्बर 2010

प्र. क्र. 8-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि शाहबाद तिलेण्डी जलाशय की मुख्य नहर एवं उप नहर निर्माण किये जाने हेतु जल संसाधन विभाग के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
- (ख) तहसील—गौहरगंज
- (ग) ग्राम—दादरोद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —28.02 एकड़।

खसरा नम्बर	कुल रकबा (एकड़ में)	अर्जित रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)
दादरोद		

137/1	4.00	0.06
126/1	748.14	7.80
126/1	748.14	5.74
126/2/3	10.00	0.68
126/2/2	10.00	0.62
126/2/1	7.40	0.44

शाहबाद तिलेण्डी

186	5.62	0.48
190	5.50	0.24

178	1.44	0.16
179	0.26	0.02
9/2	3.00	0.30
19	18.51	0.90
21/1	5.78	0.30
21/2/2	0.78	0.20
9/2	3.00	0.30
8	0.76	0.05
7	8.10	0.90
3/2	5.88	0.20
3/1	5.88	0.30
2	2.42	0.20

झागर

6/5	3.15	0.02
5/3	7.00	0.40
5/2	7.00	0.40
5/1	16.00	1.00
2/1	1.00	0.20
6/1	10.00	0.06

रामखेडी

45	13.96	1.00
46/2	6.97	0.70
46/1	6.98	0.30
16	5.00	0.42

योग . . 1739.23 28.02

टीप.—(2) भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(3) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—शाहबाद तिलेण्डी की मुख्य नहर एवं उप नहरों हेतु अर्जित।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

सूचना

क्रमांक एफ. 7-4 / 09 / सात / शा--३ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (3) में दर्शाई तहसीलों को सूखा प्रभावित मानती है और वृहद प्रचार एवं सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है:-

अनुसूची

क्रमांक	ज़िला	तहसील
1.	धार	1. बदनावर 2. डही
2.	खरगोन	1. महेश्वर
3.	बड़वानी	1. पानसेमल 2. निवाली
4.	झाबुआ	1. पेटलावद
5.	अलीराजपुर	1. अलीराजपुर
6.	उज्जैन	1. उज्जैन 2. तराना
7.	देवारा	1. खातोगांव 2. टोकखुर्द
8.	रत्लाम	1. सैलाना 2. जावरा 3. पिपलौदा
9.	शाजापुर	1. कालापीपल 2. बड़ौद 3. सुरानेर 4. शाजापुर 5. गोगनबड़ोदिया 6. शुजालपुर 7. गुलाना
10.	मंदरसौर	1. मल्हारगढ़ 2. सीतामऊ 3. गरोठ 4. सुवारारा 5. श्यामगढ़
11.	गुना	1. आरोन 2. चाचोड़ा 3. बगोरी
12.	अशोकनगर	1. ईसागढ़
13.	श्योपुर	1. श्योपुर 2. विजयपुर 3. बड़ोदा 4. वीरपुर
14.	भिण्ड	1. अटेर
15.	रीवा	1. हुजुर 2. रायपुर. कर्चुलियान 3. मउरंज 4. हनुमना 5. गुढ़ 6. त्योथर 7. सिरमौर 8. मनगंवा 9. सेमरिया 10. जवा 11. नईगढ़ी
16.	सीधी	1. सिंहावल 2. मझौली 3. रामपुर नैकिन 4. चुरहट
17.	सिंगरोली	1. देवसर 2. चितरंगी 3. सिंगरोली
18.	सतना	1. रघुराज नगर 2. रामपुर बघेलान 3. नागौद 4. मैहर 5. उच्छेरा 6. मझांगंवा 7. कोटर 8. विरसिंहपुर
19.	शहडोल	1. ब्यौहारी 2. सोहागपुर
20.	उमरिया	1. मानपुर 2. बांधवगढ़ 3. पाली 4. चंदिया 5. नौरोजाबाद
21.	अनूपपुर	1. जैतहरी 2. अनूपपुर
22.	डिण्डोरी	1. डिण्डोरी
23.	सागर	1. सागर 2. राहतगढ़ 3. केसली 4. देवरी.

24.	पन्ना	1. पन्ना 2. अजयगढ़ 3. देवेन्द्र नगर
25.	टीकमगढ़	1. टीकमगढ़ 2. बल्देवगढ़ 3. निवाड़ी 4. पृथ्वीपुर 5. जतारा 6. पलेरा 7. ओरछा 8. खरगापुर 9. मोहनगढ़
26.	भोपाल	1. हुजुर 2. बैरसिया
27.	सीहोर	1. सीहोर 2. आष्टा 3. बुधनी 4. नसरुल्लागंज 5. इछावर 6. रेहटी 7. श्यामपुर 8. जावर
28.	रायरोन	1. रायरोन 2. गोहरगंज 3. बेगमगंज 4. गैरतगंज 5. शिलवानी 6. उदयपुरा 7. बाड़ी
29.	राजगढ़	1. राजगढ़ 2. सारंगपुर 3. जीरापुर 4. नरसिंहगढ़ 5. ब्यावरा 6. पचौर
30.	विदिशा	1. विदिशा 2. बासौदा 3. नटेरन 4. ग्यारसपुर 5. शमशाबाद 6. त्योंदा 7. गुलाबगंज
31.	होशगाबाद	1. पिपरिया 2. बाबई 3. सोहागपुर 4. बनर्घेड़ी 5. सिवनी 6. मालवा
32.	बैतूल	1. शाहपुर
33.	कटनी	1. कटनी 2. बड़वारा 3. बरही
34.	नरसिंहपुर	1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा
35.	छिन्दवाड़ा	1. तामिया 2. हर्रई
36.	सिवनी	1. केवलारी
37.	मण्डला	1. घुघरी
योग	37	135

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव,

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2010

क्र. एफ. 7-4-09-सात-शा-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7-4/09/सात/शा-3, दिनांक 24 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव,

Bhopal, dated 24th November 2010

NOTICE

No. F. 7-4/09/VII/S.-3 - On the basis of standard fixed by the State Government, the State Government hereby, recognize the drought affected tahsils shown in column in (3) of Schedule given below and this notice is published for wide publicity and information to general public :-

SCHEDULE

<u>No</u>	<u>District</u>	<u>Affected tahsils</u>
(1)	(2)	(3)
1.	Dhaar	1. Badnawar 2. Dahi
2.	Khargone	1. Maheshwar
3.	Badwani	1. Pansemal 2. Niwali
4.	Jhabua	1. Petlawad
5.	Alirajpur	1. Alirajpur
6.	Ujjain	1. Ujjain 2. Tarana
7.	Dewas	1. Khategaon 2. Tonkhurd
8.	Ratlam	1. Sailana 2. Jaora 3. Piploda
9.	Shajapur	1. Kalapipal 2. Bадод 3. Susner 4. Shajapur 5. Moman Badodiya 6. Shujalpur 7. Gulana
10.	Mandsour	1. Malhargarh 2. Sitamau 3. Garoth 4. Suwasra 5. Shamgarh
11.	Guna	1. Aron 2. Chachoura 3. Bamori
12.	Ashok Nagar	1. Isagarh
13.	Sheopur	1. Sheopur 2. Vijaypur 3. Badoda 4. Virpur
14.	Bhind	1. Ater
15.	Rewa	1. Hujur 2. Raipur Karchuliyan 3. Mauganj 4. Hanumana 5. Gurh 6. Teonthar 7. Sirmour 8. Mangawa 9. Semariya 10. Jawa 11. Naigarhi
16.	Sidhi	1. Sihawal 2. Majholi 3. Rampur Naikin 4. Churhat
17.	Singrauli	1. Devsar 2. Chitrangi 3. Singrauli
18.	Satna	1. Raghurajnagar 2. Rampur Baghelan 3. Nagod 4. Maihar 5. Uchehara 6. Majhgawa 7. Kothar 8. Birsinghpur
19.	Shahdol	1. Beohari 2. Sohagpur
20.	Umaria	1. Manpur 2. Bandhogarh 3. Pali 4. Chandiya 5. Naurojabad
21.	Anuppur	1. Jaithari 2. Anuppur
22.	Dindori	1. Dindori
23.	Sagar	1. Sagar 2. Rahatgarh 3. Kesli 4. Deori
24.	Panna	1. Panna 2. Ajaygarh 3. Devendra Nagar
25.	Tikamgarh	1. Tikamgarh 2. Baldeogarh 3. Niwari 4. Prithvipur 5. Jatara 6. Palera 7. Orcha 8. Khargapur 9. Mohangarh
26.	Bhopal	1. Hujur 2. Berasia

27.	Sehore	1. Sehore 2. Ashta 3. Budhni 4. Nasrullanganj 5. Ichhawar 6. Rehti 7. Shyampur 8. Jawar
28.	Raisen	1. Raisen 2. Goharganj 3. Begamganj 4. Gairatganj 5. Silwani 6. Udaipura 7. Badi
29.	Rajgarh	1. Rajgarh 2. Sarangpur 3. Jirapur 4. Narsingharh 5. Biaora 6. Pachour
30.	Vidisha	1. Vidisha 2. Basoda 3. Nateran 4. Gyaraspur 5. Shamshabad 6. Tyoda 7. Gulabganj
31.	Hoshangabad	1. Pipariya 2. Babai 3. Sohagpur 4. Bankhedi 5. Seoni Malwa 6. Dolria
32.	Betul	1. Shahpur
33.	Katni	1. Katni 2. Barwara 3. Barhi
34.	Narsinghpur	1. Narsinghpur 2. Gotegaon 3. Kareli 4. Gadarwara
35.	Chhindwara	1. Tamia 2. Harrai
36.	Seoni	1. Keolari
37.	Mandla	1. Ghughri
Total	37	135

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
 ANIL SRIVASTAV, Principal Secy.